

To be published in the Delhi Gazette, Part -IV (Ordinary)

✓
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
DIRECTOR OF EDUCATION, OLD SECTT., DELHI
(GAZETTED OFFICER'S CELL)

No.F.26(31)/06/Edn./GOC/ 3806-15

Dated:- 24/06/19

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub section (I) of section 11 of the Delhi School Education Act., 1973 (18 of 1973), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint Shri Talwant Singh, an officer of Delhi Higher Judicial Service, as Presiding Officer of the Delhi School tribunal, for further one year w.e.f. 22/05/2009.

By order and in the name of the
Lt. Governor of the
National Capital Territory of Delhi

Archana Arora
(ARCHNA ARORA)
PR. SECRETARY (EDUCATION)

4-
Dated:- 24/6/19

No.F.26(31)/06/Edn./GOC/ 3806-15

Copy forwarded for information & necessary action to :-

- 1) The Registrar General, Delhi High Court, Delhi.
- 2) The Office Incharge, General Administration Department, Delhi Sectt., New Delhi (in duplicate) with the request that this may be published in Delhi Gazette (Ordinary). Hindi Version of the notification is also enclosed.
- 3) The Jt. Secretary to the govt. of India, Ministry of HRD, Department of Education, New Delhi.
- 4) The Jt. Secretary to Govt. of India, Ministry of Law, New Delhi.
- 5) The Chief Secretary, NCT of Delhi, Delhi Sectt. New Delhi.
- 6) The Secretary to the Lt. Governor, GNCT of Delhi.
- 7) The Secretary (Law, Justice & Legislative Affairs), GNCT of Delhi.
- 8) Shri Talwant Singh (Delhi Higher Judicial Service) through the Joint Registrar (Gaz.), Delhi High Court.
- 9) The Director of education, Dte. of Education, GNCT of Delhi.
- 10) PS. To Secretary (Edn.), GNCT of Delhi.
- 11) Reader to Delhi School Tribunal, Delhi Sectt., New Delhi.

Archana Arora
(ARCHNA ARORA)
PR. SECRETARY (EDUCATION)

4-
u

दिल्ली राजपत्र (सामान्य) के भाग -4 में प्रकाशनार्थ

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
शिक्षा निदेशालय
पुराना सचिवालय दिल्ली-110054
(राजपत्र शाखा)

फाइल सं० 26 (31)/06/ शिक्षा / जी०ओ०सी०/ २४०६-१५

दिनांक २५/६/१९

अधिसूचना

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रशासक दिल्ली विद्यालय अधिनियम 1973 (1973 के 18) धारा 11 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री तलवंत सिंह, अधिकारी, दिल्ली उच्चन्यायिक सेवाएं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को दिनांक 22/05/09 से अगले एक वर्ष के लिए दिल्ली स्कूल ट्रिब्यूनल का पीठासीन अधिकारी नियुक्त करते हैं ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रशासक
के आदेश तथा उनके नाम पर
अर्चना अरोडा
(अर्चना अरोडा)
प्रधान सचिव (शिक्षा)

फाइल सं० 26 (31)/06/ शिक्षा / जी०ओ०सी०/ २४०६-१५ दिनांक २५/६/१९

प्रतिलिपि :-

1. महापंजीयक, दिल्ली उच्चन्यायालय, नयी दिल्ली ।
 2. कार्यालय अधिकारी (सामान्य प्रशासन विभाग) दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली (दो प्रतियां) दिल्ली राजपत्र (सामान्य) के भाग -4 में प्रकाशनार्थ ।
 3. संयुक्त सचिव, भारत सरकार शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली ।
 4. संयुक्त सचिव, भारत सरकार विधि मंत्रालय नई दिल्ली ।
 5. मुख्य सचिव, रा० रा० क्षेत्र, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली ।
 6. सचिव, उपराज्यपाल, दिल्ली ।
 7. सचिव, विधि न्याय तथा विधायी, रा० रा० क्षेत्र दिल्ली ।
 8. श्री तलवंत सिंह, अधिकारी, दिल्ली उच्चन्यायिक सेवाएं, संयुक्त पंजीकाय (गज०) के द्वारा, दिल्ली उच्चन्यायालय, दिल्ली
 9. शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय रा० रा० क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली ।
 10. निजी सचिव, सचिव (शिक्षा) रा० रा० क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली ।
- रीडर, दिल्ली स्कूल ट्रिब्यूनल, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली ।

अर्चना अरोडा
(अर्चना अरोडा)
प्रधान सचिव (शिक्षा)

अर्चना अरोडा
२५/६/१९